

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012 दिनांक-27.03.2017 में उनके नाम के सम्मुख निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम आंशार्थी मय पदस्थापन स्थान(सर्वश्री),	आदेश में क्रम संख्या	वांछित संशोधन
1	कृष्ण कान्त शर्मा, व्याख्याता-रसायन विज्ञान, वोकेशनल नयापुरा कोटा	127	कॉलम संख्या 04 में अंकित जन्म तिथि -04.01.1959 के स्थान पर 04.01.1969 पढ़ी जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012/पार्ट-II/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 5 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- 6 संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित प्राध्यापक द्वारा संस्था प्रधान।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली।

दिनांक:- 28-07-2021

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर